

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2023—श्रावण 13, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2023

क्र. 13054-161-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अगस्त, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०२३

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३

[दिनांक २ अगस्त, २०२३ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ४ अगस्त, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गईं.]

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ है.

धारा १२ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १२ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) या उपधारा (६) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम ३ व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी. सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जाएगा. इस प्रकार कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को किसी शासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कम से कम १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए या राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रतिष्ठित शासकीय अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में नेतृत्व के साथ विख्यात शिक्षाविद् होने का १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए:

परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति, नियुक्ति स्वीकार करने का इच्छुक न हो तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा:

परन्तु यह और कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि कोई व्यक्ति जिसने ६६ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कुलपति के रूप में नियुक्त या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.”.

धारा १७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से, जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम ५ वर्ष का अनुभव हो या राज्य शासन के अधीन ऐसे अधिकारियों, जिन्हें उपसचिव या उसके समकक्ष स्तर के किसी पद पर कम से कम ५ वर्ष का अनुभव हो, में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी.”.

धारा १९ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों, जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम ३ वर्ष का अनुभव हो या राज्य शासन के ऐसे अधिकारी, जो उपसचिव या उसके समकक्ष पद पर कम से कम ३ वर्ष का अनुभव रखते हों, में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी.”.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2023

क्र. 13054-161-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 19 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 19 OF 2023

**THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2023**

[Received the assent of the President on the 2nd August, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 4th August, 2023.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fourth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023. **Short title.**

2. For sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011) (hereinafter referred to as the principal Act), the following sub-section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 12.**

“(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of not less than three persons recommended by the committee constituted under sub-section (2) or sub-section (6). A person possessing the highest level of competence, integrity, moral and institutional commitment shall be appointed as Vice-Chancellor. The person so appointed as Vice-Chancellor shall have at least 10 years experience as a Professor in a Government College or University or shall be a distinguished academican with 10 years of experience and demonstrated academic leadership in a reputed Government research or academic administrative organization at the national level :

Provided that if the person or persons approved by the Chancellor out of those recommended by the committee are not willing to accept the appointment, the Chancellor may call for fresh recommendations from such committee:

Provided further that the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government:

Provided also that no person who has attained the age of sixty-six years shall be eligible for appointment or reappointment as Vice-Chancellor.”.

Amendment of Section 17.

3. For sub-section (2) of Section 17 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(2) The Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst such teachers with a minimum of 5 years of experience on the post of Professor of Government College or Universities or from among such officers serving under the State Government with at least 5 years’ of experience at the level of Deputy Secretary or its equivalent.”.

Amendment of Section 19.

4. For sub-section (1) of Section 19 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) The Controller of Examinations shall be appointed on deputation by the State Government from amongst such teachers of Government Colleges or Universities with a minimum of 3 years of experience on the post of Professor or such officers of the State Government with a minimum of 3 years’ of experience at the level of Deputy Secretary or its equivalent.”.